राजस्थान सरकार
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/RACE/2020/**122;** दिनांकः 04 दिसम्बर 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः Resource Assistance and College with Excellence (RACE) योजना की सत्र 2020–21 में कियान्विति के संबंध में।

सन्दर्भः आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयुपर की ओर से जारी पत्रांक : CCE/P&C/ISDC/RACE./2019/946; दिनांकः 12 जुलाई 2019, पत्रांकः CCE/ISDC/RACE./2019/1354; दिनांकः 09 अक्टूबर 2019, एवं पत्रांकः CCE/ISDC/RACE./2019/1766; दिनांकः 20 जनवरी 2020 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा फरवरी 2019 के बिन्दु संख्या 31 की कियान्विति में राज्य में कॉलेज शिक्षा विभाग में आरम्भ RACE योजना के संबंध में उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से स्पष्टतः निर्देशित किया हुआ है कि प्रत्येक 02 माह के अन्तराल पर सभी जिलों में DRAC की बैठकें आयोजित की जानी होती हैं, जिनमें महाविद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा, नवीन योजनाओं पर विमर्श एवं समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान आदि पर चर्चा होना अपेक्षित है।

इस सत्र में कोरोना के कारण महाविद्यालयों में कक्षाओं का प्रत्यक्ष संचालन अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है, तथापि विद्यार्थियों की अकादमिक सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु महाविद्यालयों के स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, साथ ही आयुक्तालय के स्तर से भी विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं। वहीं कुछ महाविद्यालयों में विषय विशेष के संकाय सदस्य नहीं होने के कारण RACE योजनान्तर्गत अन्तर–महाविद्यालय सहयोग से विद्यार्थियों की सहायता की जा सकती है। कुछ जिलों यथा चुरु एंव कोटा में मांग आधार पर यह व्यवस्था इस सत्र में की भी गई है।

पूर्व पत्रों में RACE योजना की सतत कियान्विति के निर्देशों के उपरान्त भी इस सत्र में केवल कुछ जिलों में ही दो माह के अन्तराल पर अपेक्षित DRAC की नियमित बैठक आयोजित की गई है। अधिकांश जिलों DRAC की इस सत्र में कोई बैठक आयोजित नही हुई है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि –

1. सभी 33 जिलों के DRAC के अध्यक्ष प्राचार्य 15 दिसम्बर 2020 तक आवश्यक रुप से DRAC की नियमित बैठक आयोजित करें। यह बैठक कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा निर्देशित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित करें। इस बैठक का आयोजन ऑनलाइन करवाया जाना बेहतर होगा।
2. आगामी बैठक की तारीख को इस प्रथम बैठक में तय करें ताकि सभी सदस्य गण पूर्व सूचित रहें। साथ ही, इसी कम में DRAC की आगामी बैठकें आयोजित करें।

3. इस बैठक में सभी सदस्य महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

4. यथा संभव यह बैठक शनिवार के दिन आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। तथापि, बैठक तिथि का आयोजन DRAC अध्यक्ष एवं सभी सदस्य प्राचार्यों की सहमति से करते हुए आयोजन तिथि के संबंध में आयुक्तालय की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी को सूचित करें। प्रभारी अधिकारी भी ऑनलाइन ही जुडेंगे।

5. बैठक आयोजन की तिथि क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा को भी सूचित करें। सभी क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा अपने संबंधित जिलों की इस बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

6. सदस्य महाविद्यालयों द्वारा किसी प्रकार की सहायता की मांग का अनुरोध लिखित में होना अनिवार्य है।

7. DRAC की बैठक के मिनिट्स, जिसमें मीटिंग में विमर्श किये गये मुद्दों, उन पर लिये गये निर्णयों एवं अनुशंसाओं सहित प्रगति सम्मिलित हो, की पुर्व निर्देशानुसार प्रति नवाचार प्रकोष्ठ की ई–मेल आई.डी. **innovation.cceraj@gmail.com** पर प्रेषित करें।

8. बैठक कार्यवाही का रिकार्ड महाविद्यालय स्तर पर भी संधारित करें ताकि किसी सूचना की आवश्यकता होने पर प्राप्त की जा सके।

9. DRAC अध्यक्ष प्राचार्यों के साथ शीघ्र ही एक ऑनलाइन मीटिंग श्रीमान आयुक्त के साथ अपेक्षित है। अतः आपके जिले की विगत सत्र की प्रगति एवं इस सत्र में की गई कार्यवाही के संबंध में तैयारी रखें।

इस संबंध में आयुक्तालय स्तर पर मार्गदर्शन/सहायता हेतु नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डा. विनोद कुमार भारद्वाज से उनके मोबाइल नम्बर 9414304650 पर सम्पर्क करें।

बी. एल. गोयल, RAS
अतिरिक्त आयुक्त

पत्रांकः CCE/ISDC/RACE/2020/**123-24;** दिनांकः 04 दिसम्बर 2020

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
7. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर को प्रति भेजकर लेख हैं कि DRAC बैठक में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आयुक्तालय को मिनिट्स भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

04/12/2020

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ